

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०१४

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के भाग-३ के स्थान पर, निम्नलिखित भाग स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

भाग-३ का स्थापन.

“भाग-३

स्थावर संपत्ति के अंतरण पर उपकर

परिभाषाएं.

८. इस भाग में, पद “स्थावर संपत्ति” का वही अर्थ होगा जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ का ४) में उसके लिए दिया गया है.

९. (१) विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस वर्ष या अधिक की कालावधि के पट्टे के माध्यम से स्थावर संपत्ति के अंतरण पर इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार उपकर प्रभारित किया जाएगा, उद्गृहीत किया जाएगा तथा संदत्त किया जाएगा:

स्थावर संपत्ति के
अंतरण पर उपकर
का उद्ग्रहण.

परंतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) के अधीन की छूट, यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम के अधीन उपकर के संबंध में उसी सीमा तक लागू होंगी जिस सीमा तक कि वे उस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क को इस प्रकार लागू होती हो मानो कि उपकर उस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क हो.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रभारित और उद्गृहीत उपकर स्थावर संपत्ति के अंतरण की लिखत के रजिस्ट्रीकरण के साथ चुकाया जाएगा और वसूल किया जाएगा. उपकर के भुगतान को, अंतरण के विलेख पर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) के अधीन जारी किए गए स्टाम्प चिपकाकर दर्शाया जाएगा.

(३) उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसके द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) के अधीन स्टाम्प शुल्क देय है.

(४) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसके अधीन कोई अधिकारी किसी दस्तावेज को तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा जब तक कि उपधारा (१) के अधीन प्रभारित और उद्गृहीत उपकर पूर्णतः न चुका दिया गया हो.

(५) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) की धारा ४८ के उपबंध इस भाग के अधीन उपकर की वसूली पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे इस अधिनियम के अधीन शुल्क एवं शास्तियों की वसूली पर लागू होते हैं.

(६) उपकर के आगम ग्रामीण विकास विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उपयोजित किये जायेंगे.

अनुसूची का अंतः
स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा १४ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“अनुसूची
लिखतों पर उपकर
[धारा ९ (१) देखिये]

अनुक्रमांक लिखतों का विवरण (१)	सम्पत्ति का विवरण (२)	उपकर (४)
१ विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस या अधिक वर्ष की कालावधि के लिए पट्टा	स्थावर सम्पत्ति के अंतरण पर	स्टाम्प शुल्क की उस रकम के, जिससे कि ऐसे अंतरण की लिखत भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) की अनुसूची १-क के सुसंगत अनुच्छेद के अनुसार प्रभावी है, २.५ प्रतिशत की दर से.”

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ९ की उपधारा (१) स्टाम्प शुल्क पर, केवल रिक्त भूमि के अंतरण पर, उपकर संगृहीत किए जाने का उपबंध करती है। वर्तमान उपबंध के अधीन उपकर के रूप में देय राशि की संगणना के लिए प्रश्नाधीन संपत्ति में रिक्त भूमि की सीमा का प्राक्कलन किया जाता है तथा उस विशिष्ट क्षेत्र पर देय स्टाम्प शुल्क पर ५ प्रतिशत उपकर प्रभारित किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में, अधिकांश मामलों में अंतरित की जा रही संपत्ति में रिक्त भूमि तथा निर्मित संपत्ति समाविष्ट होती है। इस प्रकार निर्मित संपत्ति के अंतरण पर कोई उपकर प्रभारित नहीं किया जा रहा है और इसलिए उपकर का स्वरूप न्यायपूर्ण नहीं है। अतएव, यह प्रस्तावित है कि निर्मित संपत्ति को उपकर की परिधि के भीतर लाया जाए।

२. उपकर में उपरोक्त एकरूपता से उपकर के अधिरोपण में स्पष्टता आएगी तथा वह और अधिक लोक अनुकूल तथा संगणना में सरल होगी। रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण प्रगति पर है। यदि उपकर की राशि केवल देय स्टाम्प शुल्क की राशि पर निर्भर करती हो न कि संव्यवहृत की जा रही संपत्ति की प्रकृति (रिक्त या निर्मित) पर तो उपकर की संगणना तर्कसंगत, अधिक सरल तथा दोष रहित हो जाएगी। यह विचारणीय है कि स्टाम्प शुल्क तथा उपकर की दरों का सरलीकरण रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण का अभिन्न अंग है और होना चाहिए।

३. साथ-साथ, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि उपकर का भार दुर्भर न हो, उपकर की दर को ५ प्रतिशत से कम किया जाकर २.५ प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

४. उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से अधिनियम को, उसके भाग-३ को प्रतिस्थापित किया जाकर युक्तियुक्त रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। अनुसूची का अंतःस्थापन पारिणामिक है जिसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख ९ जुलाई, २०१४

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.

भगवानदेव ईसरांनी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) से उद्धरण

*

*

*

*

*

भाग—३

धारा ८—इस भाग में—

- (क) रिक्त भूमि से अभिप्रेत है ऐसी खुली भूमि जो मुख्यतः कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं लाई जा रही हो;
- (ख) अभिव्यक्ति “कृषि” तथा “भूमि” के वही अर्थ होंगे जो मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, १९५९ (क्र. २० सन् १९५९) में इन अभिव्यक्तियों के लिये दिये गये हैं.

धारा ९—(१) (क) रिक्त भूमि के तथा कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि के ऐसे अंतरण पर जो विक्रय, दान के रूप में या ३० वर्ष या उससे अधिक कालावधि के पट्टे के रूप में या भोग बंधक के रूप में किया जाये, उपकर उस स्टाम्प शुल्क की रकम के जो ऐसे प्रत्येक अंतरण की लिखत पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) की अनुसूची १-क के सुसंगत अनुच्छेद के अनुसार प्रभार्य है, पांच प्रतिशत की दर से) प्रभारित किया जायेगा, उद्ग्रहीत किया जायेगा और संदत्त किया जायेगा :

परंतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) के अधीन की छूट यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अधीन के उपकर के संबंध में उसी सीमा तक लागू होगी जिस सीमा तक कि वह उस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क को लागू होती है मानो कि उपकर उस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क हो.

(ख)

*

*

*

*

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रभारित तथा उद्ग्रहीत उपकर का भुगतान तथा वसूली रिक्त भूमि के तथा कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाने वाली भूमि के अंतरण की लिखतों के पंजीयन के साथ की जायेगी. उपकर के संदाय को अंतरण की लिखत पर उन स्टाम्पों द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) के अधीन जारी किये गये हों.

(३) उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसके द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) के अधीन स्टाम्प शुल्क देय है.

(४) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का सं. १६) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उसके अधीन कोई अधिकारी किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण के लिये तब तक ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि उपधारा (१) के अधीन प्रभारित और उद्ग्रहीत उपकर पूर्णतः न चुका दिया गया हो.

(४-क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) की धारा ४८ के उपबंध इस भाग के अधीन उपकर की वसूली को ऐसे ही लागू होंगे जैसे कि उस अधिनियम के अधीन शुल्क एवं शास्ति की वसूली को लागू होते हैं.

(५) उपकर के आगम ग्रामीण विकास विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था के लिये उपयोजित किये जायेंगे.

*

*

*

*

*

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.